न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर०ए०एस०)

अपील संख्या : 2022/209

1. अशोक पुत्र रामरतन जाति कलाल निवासी 165 तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2. महेन्द्र पुत्र रामरतन जाति कलाल निवासी आटा चक्की के पास तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
3. दिनेश पुत्र रतनलाल जाति कलाल निवासी आटा चक्की के पास तेखड़ा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र रामरतन जाति कलाल निवासी ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा (राज0) ।

—रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 2022/210

1. अशोक पुत्र रामरतन जाति कलाल निवासी 165 तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2. महेन्द्र पुत्र रामरतन जाति कलाल निवासी आटा चक्की के पास तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
3. दिनेश पुत्र रतनलाल जाति कलाल निवासी आटा चक्की के पास तेखड़ा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र रामरतन जाति कलाल निवासी ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा (राज0) ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :–1. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय दिनांक: 31.07.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.03.2022 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.04.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री तथा दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व प्रतिवादीगण अपीलांटगण की शामलाती खातेदारी की कृषि आराजी खाता संख्या नया 154 मे दर्ज खसरा नम्बर 668 की रकबा 0.08 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 13 मे दर्ज आराजी संख्या 666 की रकबा 2.62 हैक्टेयर वाके ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित होकर चली आ रही है, जिसमे वादी व प्रतिवादीगण का 1/4, 1/4 हक हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 सगे भाई है और वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के मध्य उक्त वाद विषयक भूमि का आपसी सहमति से मौखिक पारिवारिक विभाजन हो रहा है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक विभाजन के अनुसार खसरा नम्बर 668 की रकबा 0.08 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 666 की रकबा 2.62 हैक्टेयर मे से उत्तरी दिशा की 0.5950 हैक्टेयर वादी के हिस्से मे तथा खसरा नम्बर 666 की उत्तर मध्य की 0.6750 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे एवं खसरा नम्बर 666 मध्य की 0.6750 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से मे एवं खसरा नम्बर 666 के दक्षिणी दिशा की 0.6750 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से मे प्राप्त हुई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 आपसी सहमति से हुए पारिवारिक विभाजन मे प्राप्त हिस्से अनुसार अपनी–अपनी भूमि पर काबिज अपनी–अपनी भूमि पर

पृथक–पृथक काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी रेस्पोडेन्ट पारिवारिक विभाजन अनुसार प्राप्त अपने हिस्से की खसरा नम्बर 666 की रकबा 0.08 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 666 की उत्तरी दिशा की 0.6950 हैक्टेयर कुल 0.6750 हैक्टेयर भूमि पर लगातार शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अन्त मे वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादपत्र की चरण संख्या 1 मे खाता संख्या नया 154 पुराना 150 के खसरा नम्बर 666 की रकबा 0.08 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 13 पुराना 126 के खसरा नम्बर 666 की रकबा 2.62 हैक्टेयर वाके ग्राम थेकडा तहसील लाडपुरा मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने एवं वादग्रस्त भूमि मे से खसरा संख्या 666 की रकबा 0.08 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 666 की रकबा 2.62 हैक्टेयर भूमि मे से उत्तरी दिशा की 0.6950 हैक्टेयर वादी के हिस्से मे तथा खसरा नम्बर 666 की उत्तरी मध्य की 0.6750 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से मे एवं खसरा नम्बर 666 मध्य की 0.6750 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से मे एवं खसरा नम्बर 666 की दक्षिणी दिशा की 0.6750 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से मे दी जावे एवं तदनुसार पृथक–पृथक लगान कायम कर राजस्व रिकॉर्ड मे पृथक–पृथक खाता अमल दरामद जावे। साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन कराये बिना रहन, बेय, दान, वसीयत, विक्रय, हस्तान्तरण अथवा खुर्द–बुर्द नहीं करे। भूमि को भूखण्डो मे विभाजित करके बेचान नहीं करे।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2022 के द्वारा वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री कर दिया । तथा दिनांक 22.04.2022 को वादग्रस्त आराजीयात के विभाजन की अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2022 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 से व्यथित होकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने न्यायालय हाजा में दोनों अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22.03.2022 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई

जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री 22.03.2022 एवं अंतमि डिक्री 22.04.2022 निरस्त किये जावें ।

6. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले मियाद बाहर होने से दोनो अपीलों के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ प्रस्तुत किया गया। मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से अपीलों के साथ दो अलग–अलग प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षमा किये जाने का निवेदन किया । हमने प्रार्थना–पत्रों का अवलोकन व मनन किया। न्यायहित मे अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र स्वीकार किये जाकर दोनो अपीलें अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 23.12.2022 को प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज अपील के प्रभावी व सारभूत निर्णय के लिये सहायक है। अन्त में प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

9. हमने अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी व प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत प्रतीत होते है तथा उक्त दस्तावेजो का अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक सिद्ध होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

10. दोनों अपीलों में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2022 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 विधि विरूद्ध एवं न्याय संचिका मे निहित तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी सम्मन की अपीलांटगण को कभी भी तामील नहीं हुई। अपीलांटगण को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण की प्रोपर तामील नहीं कराई और न ही अपीलांटगण ने किसी सम्मन को लेने से इंकार किया तथा न ही अपीलांटगण के मकान पर कोई सम्मन चस्पा किया गया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण की तामील होना मानकर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर एकपक्षीय रूप से निर्णय व डिक्री पारित करने मे भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2022 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 पारित की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण को जरिये नजारत व्यक्तिगत रूप से तामील हेतु सम्मन प्रेषित किये बिना ही प्रेषित किये गये सम्मन की चस्पानगी से तामील मानने मे भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सम्मन की चस्पानगी से तामील कराने का कोई आदेश प्रदान नहीं किया गया। जिस तथाकथित सम्मन के द्वारा चस्पानगी से तामील होना माना गया है, उस सम्मन मे गवाहों के नाम, पते एवं उनकी आयु अंकित नहीं है और न ही सम्मन पर यह अंकित है कि किस व्यक्ति ने सम्मन लेने से इंकार किया। साथ ही ऐसे व्यक्ति की पहचान भी नहीं करवाई गई है। इस प्रकार आदेश 5 जाप्ता दीवानी के आज्ञापक प्रावधानों की पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे न तो प्राथमिक निर्णय पारित किया है और न ही प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। जो निर्णय पारित किया गया है उसमे न तो वादग्रस्त आराजी का अंकन है और न ही पक्षकारान के हिस्से का अंकन है। जबकि विभाजन के वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना आज्ञापक प्रावधान है। डिक्री आदेश के अनुसार नहीं है। खसरा नम्बर 668 का कोई विभाजन नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान रेवेन्यु मनुअल भाग–2 के नियम 18 से 21 तक की प्रकिया का पालन किये बिना ही अंतिम डिक्री जारी की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। विभाजन

प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व संबंधित तहसीलदार को सभी खातेदारान को सूचना देना एवं उनकी उपस्थिति मे मौके, कब्जे व हिस्से की स्थिति को एवं अच्छी से अच्छी तथा बुरी से बुरी भूमि के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करना कानूनी रूप से आवश्यक है परन्तु विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व अपीलांटगण को सूचना नहीं दी गई। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर अपने अधीनस्थ पटवारी हल्का द्वारा मनमाने तरीके से पक्षकारान की अनुपस्थिति मे तैयार करवाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। उक्त विधि विरूद्ध तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव आया उसमे खसरा नम्बर 668 की रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि का कोई विभाजन नहीं किया गया जबकि प्रत्येक खातेदार को प्रत्येक खसरा नम्बर मे से अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी जमीन का विभाजन किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। बंटवारा प्रस्ताव से पूर्व जो रजिस्टर्ड डाक से सूचना किया जाना बताया जा रहा है, उस पर अंकित पता सही नहीं है तथा पूरा पता नहीं है। उक्त रजिस्टर्ड डाक से अपीलांट को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। जहॉ तक प्रकरण में सारवान निर्णय का प्रश्न है तो यह दोनो पक्षों पर लागू होना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2021(2) डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 1120,ए.आई.आर. 1989(हिमाचल प्रदेश) पेज 26, 2013(1) डी.एन.जे.(राज.) पेज 351 , आर.एल.डब्ल्यु. 2002 राज. पेज 100, 2021(2) डी.एन.जे. राज. पेज 543, 2013(2) आर.आर.टी. पेज 985(एच.सी.), 2021(1) डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 72, आर.आर.डी. 1992 पेज 17(सी.), 2012(1) डी.एन.जे. (रेवेन्यु) पेज 140, आर.आर.डी. 1994 पेज 215, 2019(1) आर.आर.टी. पेज 217, पत्रांक राजस्व मण्डल अजमेर दिनांक 05.10.2020 , 2021(1) डी.एन.जे. (रेवेन्यु) पेज 299, 2021(2) डी.एन.जे. (रेवेन्यु) पेज1408, 2021(1) डी.एन.जे. (रेवेन्यु) पेज 310, आर.आर.डी. 1993 पेज 642, आर.आर.डी. 2015 पेज 739, आर.आर.डी. 1975 पेज 52, 1994(1) आर.बी.जे. पेज 225, आर. आर.टी. 2016(1) पेज 87, 2022(2) आर.आर.टी. पेज 988, आर.आर.डी 1995 पेज 475, आर.आर.टी. 2014(1) पेज 258 प्रस्तुत किये अन्त मे अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीले स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2022 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 खारिज किये जाने की प्रार्थना की ।

11. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण के सही पते पर सम्मन नोटिस प्रेषित किये गये। अपीलांटगण द्वारा सम्मन नोटिस लेने से मना किया गया, जिससे अपीलांटगण की प्रोपर तामील होना अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत स्वीकार किया है। अपीलांटगण प्रोपर तामील के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये। सी.पी.सी. के आदेश 5 के प्रावधानों में यह प्रावधान भी है कि यदि किसी कारण से पक्षकार सम्मन न ले तो उसे चस्पा किया जा सकता है। विभाजन प्रस्ताव से पूर्व भी रजिस्टर्ड डाक से अपीलांट को नोटिस जारी किए गाए है। एक माह का प्रिसम्पशन सम्मन में होता है नोटिस में नहीं। राजस्व कार्मिकों द्वारा अपीलांट स्वयं न तो मौके पर आए तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए, प्राथमिक डिक्री होने पर स्वयं न्यायालय की जिम्मेदारी होती है कि वह उसका कियान्वयन कर अंतिम डिक्री पारित करे। तकनीकी रूप से इन्होने इसकी अपील ही पोषणीय नहीं है। अपीलांट डिक्री–पर्चे के समय अपील प्रस्तुत करते तभी अपील पोषणीय होती। यदि केवल गुणावगुण पर भी देखा जाए तो प्रश्नगत प्राथमिक डिक्री से अपीलांट के क्या अधिकार प्रभावित हुए है? अपीलांट की इस पर कोई विशेष आपत्ति भी नहीं है। प्राथमिक डिक्री के बाद नियमानुसार अंतिम डिक्री जारी हुई है। माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों में ऐसे कई निर्णय है जिसमें कहा गया है कि जहां सारवान(substantial) न्याय की बात होती है वहॉ छोटी तकनीकी त्रुटियों को नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि इस प्रकरण में तो अधीनस्थ न्यायालय ने निर्धारित प्रकिया की पालना कर नियमानुसार निर्णय पारित किए है। हस्तगत प्रकरण को देखा जाए तो अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारे के प्रकरण में नियमानुसार बंटवारे के सारवान प्रश्न को हल किया है। अपीलांट के पास अपील में आपत्ति का कोई ठोस आधार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार होकर विधिवत रूप से तैयार किया गया है। विभाजन मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार के हस्ताक्षर भी अंकित है। अतः स्पष्ट है कि रिपोर्ट तहसीलदार के निर्देशन में

तैयार हुई है। उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कि है जो विधिपूर्वक होने से अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आरआरडी. 1995 पेज 115, 2022(3) सिविल कॉर्ट केसेज पेज 302, 2014(2) आरआरटी. पेज 1424, 2007(1) पेज 385 आरआरटी. प्रस्तुत किया। अन्त मे अपीलांटगण की ओर प्रस्तुत दोनो अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2022 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

12. हमने दोनों पत्रावलियों का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 प्रदर्श–1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम तेखड़ा की आराजी खसरा नम्बर 666 रकबा 2.62 हैक्टेयर भूमि अशोक, इन्द्रजीत, दिनेश, महेन्द्र पुत्रान रामरतन सा. देह खातेदार हिस्सा प्रत्येक का 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है । प्रदर्श 2 जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 की है जिसके अनुसार ग्राम तेखड़ा की आराजी खसरा नम्बर 668 रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि अशोक, इन्द्रजीत, दिनेश, महेन्द्र पुत्रान रामरतन सा. देह खातेदार हिस्सा प्रत्येक का 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी जमाबंदी में अन्तरण के कॉलम में स्वीकृत नामान्तरण संख्या 2 दिनांक 05.04.2021 शुद्धिपत्र अंकित है। प्रदर्श 3 नक्शा ट्रेस ग्राम थेकड़ा तहसील लाडपुरा का है। प्रदर्श 4 राजस्व नक्शा ग्राम थेकड़ा तहसील लाडपुरा की आराजी संख्या 666 व 668 का है। प्रदर्श–5 राजीनामा जैसी लिखावट की फोटोप्रति संलग्न है जिसमें पक्षकारान द्वारा अपना–अपना हिस्सा प्राप्त कर लेना अंकित है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 13 के अनुसार खसरा नम्बर 666 रकबा 0.0800 व खसरा नम्बर 992/666 रकबा 0.5950 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.6750 हैक्टेयर इन्द्रजीत पुत्र रामरतन के नाम खाते दर्ज है तथा नकल जमाबंदी सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या 154 के अनुसार खसरा नम्बर 993/666 रकबा 2.0250 हैक्टेयर भूमि अशोक दिनेश महेन्द्र पुत्र रामरतन सा. देह खातेदार हिस्सा प्रत्येक का 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जाप्ता दीवानी के

साथ संलग्न दस्तावेज , विभाजन प्रस्ताव भिजावाने हेतु उपखण्ड अधिकारी कोटा की ओर से तहसीलदार लाडपुरा को भेजा गया पत्र दिनांक 29.03.2022 प्रारंभिक डिक्री दिनांक 22.03.2022, मौका रिपोर्ट(विभाजन प्रस्ताव) तथा इस पर उपस्थित मौतबीरान के हस्ताक्षर अंकित है तथा इन मोतबिरान के पहचान–पत्र संलग्न है। वादीगण/प्रतिवादीगण को जारी रजिस्टर्ड डाक से नोटिस तारीख पेशी दिनांक 01.04.2022 की फोटोप्रतियाँ संलग्न है। अपीलांट का कथन रहा है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सम्मन तामील नहीं हुए, इस कारण वे अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुए। सर्वप्रथम यह देखा जाना उचित होगा कि अधीनस्थ न्यायालय में वाद की जानकारी अपीलांट को थी अथवा नहीं। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व सम्मन का अवलोकन किया। अपीलांटगण संख्या 1 से 3 को अधीनस्थ न्यायालय में जारी सम्मन नोटिस के पृष्ठ भाग में अंकित है कि, " प्रार्थी के परिवार के मिले लेने से मना किया खुले मकान पर चस्पा की गई दो गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये रिपोर्ट पेश हो।" साथ ही उक्त तीनो सम्मन नोटिस के पृष्ठ भाग पर दो गवाहान रामलाल व विष्णु के हस्ताक्षर भी अंकित है तथा इसके नीचे तहसीलदार लाडपुरा के हस्ताक्षर से अंकित है कि, " तामील हो चुकी है। असल वापसी प्रेषित है।" अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.02.2022 पर अंकित है कि, " पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण को तामील हो चुकी है। बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। अतः एकतरफा कार्यवाही अमजल में लाई जाती है। पत्रावली साक्ष्य वादी वास्ते दिनांक 03.03.22 को पेश हो"। सभी प्रतिवादगण एक ही परिवार के है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि सम्मन लेने से मना करने पर चस्पानगी की गई। इससे प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के वाद की सूचना हो गई थी तथा प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। इसके पश्चात् यदि प्राथमिक डिक्री का अवलोकन किया जाए तो स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार ही प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। प्रथम दृष्ट्या इसमें कोई अनियमितता भी प्रतीत नहीं होती। न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो कि उनका हिस्सा जमाबंदी में दर्ज हिस्से से ज्यादा हो। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट के इस कथन से सहमत है कि आदेश 5 नियम 17 के अनुसार यदि तामील करवाने वाले कार्मिक को लगे कि पक्षकार तामील लेने से मना करता है या बचने का प्रयास करता है तो परिस्थितियाँ अंकित करते हए चस्पानगी कर सकता है। अतः

हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त परिस्थियों को संज्ञान में रखते हुए सम्मन तामील हुआ माना जाना प्रतीत होता है। जहां तक प्राथमिक डिकी का प्रश्न है वह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक–हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु पारित की है। अतः प्रथम दृष्ट्या गुणावगुण पर भी कोई त्रुटि प्राथमिक डिकी में प्रतीत नहीं होती। केवल कोई सूक्ष्म तकनीकी आधार पर बंटवारे के प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। जहां तक प्राथमिक डिकी के आधार पर अंतिम विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करने का प्रश्न है, उस पर अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य तर्क है कि उन्हें इसकी सूचना नहीं दी गई तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा नियमानुसार विभाजन–प्रस्ताव प्रेषित नहीं किए गए। इस सम्बंध में पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉड अनुसार प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिए जाने के सम्बंध में रेस्पोडेन्ट ने प्रमाणित फोटोप्रतियां नोटिस तारीख पेशी मय रजिस्टर्ड एडी रसीद प्रस्तुत की है। मौका रिपोर्ट पर भी अंकित है कि, "उक्त खातेदारान द्वारा मोके पर उक्त भूमि में नजरी नक्शानुसार विभाजन किया हुआ है। यह कि श्रीमान दोनो पक्षकारों की उपस्थिति में उक्त आराजी का मौका देखने एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार किए जाने हेतु तहसील कार्यालय द्वारा जर्ये पत्र कमांक 687 दिनांक 01.04.202 द्वारा दिनांक 07.04.2022 को मौके पर उपस्थित होने हेतु लिखा गया था। किन्तु उक्त दिनांक को दोनो ही पक्षकारान(इन्द्रजीत पुत्र रामरतन बनाम अशोक, महेन्द्र दिनेश पुत्रान रामरतन) उपस्थित नहीं हुए।" दूसरी संलग्न मौका–रिपोर्ट पर अंकित है कि, "मौके पर वादी एवं प्रतिवादी अनुपस्थित रहे।" दोनो मौका रिपोर्ट एक–साथ संलग्न है। इससे प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है कि पक्षकारान बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली में संलग्न एक मौका रिपोर्ट पर पटवारी, गिरदावर के साथ–साथ तहसीलदार के हस्ताक्षर भी अंकित है। कुछ मोतबीरान के हस्ताक्षर भी इस रिपोर्ट पर अंकित है। हमारे समक्ष भी अपीलांटगण प्रतिवादीगण ऐसा कोई ठोस/साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाये है कि मौके पर उनका कब्जा रेस्पोडेन्ट के हिस्से में आई हुई भूमि पर हो या अपीलांट प्रतिवादीगण के हिस्से में आई भूमि का रकबा बहुत कम कर दिया हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न Ex-5 से भी प्रतीत होता है कि पक्षकारान ने अपनी–अपनी भूमि प्राप्त कर ली। हालांकि इस लिखावट में कोई विशेष खसरा नम्बर अंकित नहीं है। हिस्सा अनुसार वादी के राजस्व रिकॉर्ड में निहित 1/4 हिस्से अनुसार ही भूमि दर्ज की गई है। अधिवक्ता अपीलांट का

कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें कभी कोई सूचना/सम्मन प्रस्तुत नहीं हुए परन्तु प्रकरण में प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसील कार्यालय से दो बार चस्पानगी एवं रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाने का तथ्य प्रकट होता है। हिस्से व कब्जे को लेकर न्यायालय हाजा के समक्ष भी कोई ठोस साक्ष्य/दस्तावेज अपीलांटगण प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में बंटवारे के वाद मे केवल सूक्ष्म तकनीकी आधार पर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत रूप से प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2022 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 पारित की गई है जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

13. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत दोनो अपीलें, अपील संख्या 2022/209 एवं अपील संख्या 2022/210 खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के प्रकरण संख्या 42/2021 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.03.2022 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 यथावत रखे जाते है।

14. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

15. निर्णय आज दिनांक 31.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2022/209

1. अशोक पुत्र रामरतन जाति कलाल निवासी 165 तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2. महेन्द्र पुत्र रामरतन जाति कलाल निवासी आटा चक्की के पास तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
3. दिनेश पुत्र रतनलाल जाति कलाल निवासी आटा चक्की के पास तेखड़ा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।

—अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र रामरतन जाति कलाल निवासी ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा (राज0) ।

—रेस्पोडेन्ट

वाद संख्याः 42/2021

इन्द्रजीत पुत्र श्री रामरतन जाति कलाल निवासी ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

——वादी

बनाम

1. अशोक आत्मज रामरतन जाति कलाल निवासी ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. महेन्द्र आत्मज रामरतन जाति कलाल निवासी ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
3. दिनेश आत्मज रामरतन जाति कलाल निवासी ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

—प्रतिवादी

अपील संख्या : 2022/210

1. अशोक पुत्र रामरतन जाति कलाल निवासी 165 तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
2. महेन्द्र पुत्र रामरतन जाति कलाल निवासी आटा चक्की के पास तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज0)।
3. दिनेश पुत्र रतनलाल जाति कलाल निवासी आटा चक्की के पास तेखड़ा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।

——अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्रजीत पुत्र रामरतन जाति कलाल निवासी ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा (राज0) ।

——रेस्पोडेन्ट

वाद संख्या: 42/2021

इन्द्रजीत पुत्र श्री रामरतन जाति कलाल निवासी ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

——वादी

बनाम

1. अशोक आत्मज रामरतन जाति कलाल निवासी ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
2. महेन्द्र आत्मज रामरतन जाति कलाल निवासी ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
3. दिनेश आत्मज रामरतन जाति कलाल निवासी ग्राम तेखड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 42/2021 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा, जिला कोटा द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2022 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 के विरूद्ध उक्त अपीलें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2022

एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपीलें स्वीकार फरमाई जावे।

2. उक्त अपीलें तारीख 31.07.2023 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री संजय शर्मा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री रविन्द्र खण्डेलवाल अभिभाषक, उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की उक्त दोनों अपीले अपील संख्या 2022/209, एवं 2022/210 खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित पारित प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.03.2022 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 22.04.2022 बहाल रखे जाते है।

3. इन अपीलों के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

यह डिक्री आज तारीख 31.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा